राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमांक स.24(3)(12)स्था/मंत्रा/अभि/2022/8750-8805 दिनांकः– 26/7/2022

–: नियुक्ति आदेश :–

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमाक प.2(2)प्र.सु.
/अनु.–3/2022 जयपुर दिनांक 13.07.2020 एंव परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020
पार्ट जयपुर दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियो को इस
विभाग को शीघ्रलिपिक के पद पर नियुक्ति देने हेतु आवंटित करने के फलस्वरुप राजस्थान सेवा
नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत
निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियो को अभियोजन विभाग में रिक्त शीघ्रलिपिक के पद पर कार्मिक
विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एंव वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.
15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 एंव 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के
लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये
23700/– प्रतिमाह एंव परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप में पूर्ण करने के उपरान्त पे–मेट्रिक्स
लेवल संख्या–10 पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति की जाकर
इनका पदस्थापन इनके नाम के सामने अंकित कार्यालय के अधीन एतद्द्वारा किया जाता है :–

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	रोल न.	अभ्यर्थी मय पिता का नाम	जन्म तिथी	चयन वर्ग	पदस्थापन कार्यालय
1.	187	151500	श्री अमन शर्मा पुत्र श्री सुभाष शर्मा	02-06-1994	GEN	अभियोजन निदेशालय, जयपुर
2.	210	153470	श्री प्रेम चन्द प्रजापत पुत्र श्री हरि सिंह प्रजापत	12-08-1997	GEN	उ0नि0अ0, रा0उ0 न्यायालय, जयपुर
3.	215	198887	श्री रणजीत कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार	15-01-1999	GEN	उ0नि0अ0, रा0उ0 न्यायालय, जोधपुर
4.	223	160713	सुश्री सुरभि कुमारी गर्ग पुत्री श्री निरंजन लाल गर्ग	17-09-1997	GEN	अभियोजन निदेशालय, जयपुर
5.	241	166634	श्री साहिल सोनी पुत्र श्री चितरंजन सोनी	29-12-1995	GEN	उ0नि0अ0 भरतपुर
6.	258	113756	श्री धन्ना राम गुर्जर पुत्र श्री हुक्मा राम गुर्जर	01-07-1993	GEN	उ0नि0अ0, जयपुर महानगर, प्रथम
7.	613	169253	श्री रितिश स्वामी पुत्र श्री हरीश कुमार स्वामी	16-09-2000	OBC	स0नि0अ0, जयपुर महानगर, प्रथम
8.	1294	125890	श्री मोती लाल मीना पुत्र श्री मलखान सिंह मीना	20-06-2001	ST	स0नि0अ0, जयपुर महानगर, द्वितीय
9.	1736	177898	श्रीमती प्रियंका मीरवाल पुत्री श्री पूरण मल	09-07-1998	SC	उ0नि0अ0, कोटा

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, 1(2)एफडी/ रूल्स/06 दिनाक 13.03.06, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिनांक 13.03.06, एंव राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 30.10.17 एंव संशोधित आदेश दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/–(Fixed Remuneration) प्रतिमाह के हकदार होगें, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

2. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एंव वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमाक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 एंव 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि

के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) अवधि में सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–10 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेगें।

3. दिनांक 01.04.2004 एंव उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू होगी।

4. परिवीक्षा अवधि में वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांकः प.2(2) वित्त (नियम)/2021 पार्ट दिनांक 26.05.2022 के अनुसार प्रोबेशनर–ट्रेनीं के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिये पुरानी पेशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक से मासिक कटौती की जानी है परन्तु राज्य बीमा अंशदान की कटौतियाँ नहीं की जावेंगी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार ही परीविक्षा अवधि में नियमानुसार कटौतियॉ की जा सकेगी।

5. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

6. परीविक्षा काल (Probation-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एंव आचरण परीविक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीविक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीविक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो उसमें असफल रहने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

8. अभ्यर्थियों की वरिष्ठता शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2018 से अभियोजन विभाग को प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर द्वारा वरियता क्रमानुसार उपलब्ध कराये कार्मिको के समनुरूप होगी। चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

9. परीविक्षा/प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रवर्तनीय आदेशानुरूप देय होगें।

10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हे राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एंव गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

11. उक्त नियुक्तियॉ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होगी एंव इन पर समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

12. अभ्यर्थियों को परिविक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।

13. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।

14. अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एंव पूर्ववृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरित तथ्य पाये जाते है तो चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का राज्य सरकार/विभाग को अधिकार होगा।

15. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाऐ एंव संलग्नित किये गये दस्तावेजो में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते है तो राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।

16. उपरोक्त अभ्यर्थियों से इनके गृह जिले के सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से online जारी की गई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। तथा विभाग द्वारा इनकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट उप महानिरीक्षक, पुलिस सी.आई.ड़ी.(इन्टेलीजेन्स) राजस्थान जयपुर के माध्यम से भिजवाने हेतु सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षको को पत्र प्रेषित किये जा चुके है। यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन है।

H/26

17.उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

18.अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि शीघ्रलिपिक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

19.अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, परन्तु स्थानान्तरण पर माईलेज (मील भत्ता) इन्सीडेण्टल चार्ज एवं यात्रा व्यय नियत पारिश्रमिक पर देय होगा।

20.क्र.सं. 5 में अंकित अभ्यर्थी **श्री साहिल सोनी पुत्र श्री चितरंजन सोनी** के दस्तावेजो का अभियोजन निदेशालय से सत्यापन होने का प्रमाण पत्र अभ्यर्थी से प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यग्रहण करवाया जावे। प्रमाण–पत्र के अभाव में कार्यग्रहण नहीं करवा जाये।

21.उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिंनाक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में यदि वह असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

sd

(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) विभाग, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि./न्याय), राजस्थान जयपुर।
5. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
6. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि यदि आपके जिले में पदस्थापित उक्त अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो निर्धारित समयावधि पश्चात उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावें तथा नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तो की पूर्ण पालना होने के पश्चात कार्यग्रहण करवाया जाकर पालना सुनिश्चित करे।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि आप नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तो को पूर्ण करते हुये 15 दिवस की नियत अवधि में आवश्यक रुप से कार्यग्रहण कर लेवें।
8. निजी पत्रावली/ विधि शाखा/गोपनीय शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर।